

रूस में अज्ञात वायरस से लैब कर्मचारी की मौत

मॉस्को। रूस में 28 साल की महिला कर्मचारी की मौत के बाद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। महिला साइबेरिया के एक एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी।

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, 25 सितंबर को लैब में काम करते समय उससे जीवित जैविक नमूनों वाली एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी।

29 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। इलाज के

200 लोग क्वॉरंटाइन, प्लेग रिसर्च लैब में वायरस सैपल वाली टेस्ट ट्यूब टूटी थी

दौरान 1 अक्टूबर की रात उसकी मौत हो गई।

टेस्ट ट्यूब में किस तरह का जैविक नमूना था, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में इसे प्लेग से जुड़े नमूने से जोड़ा गया है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

वहीं, रूस की स्वास्थ्य एजेंसी रोस्पोट्रेबनादजोर ने लैब में किसी टेस्ट ट्यूब के टूटने से साफ इनकार किया है। एजेंसी ने कहा कि महिला के सैपल में उसके लैब के काम से जुड़े सूक्ष्मजीव नहीं मिले। महिला की मौत के बाद सवाल उठ रहा है कि उसे आखिर कौन सा संक्रमण हुआ था। उसे गंभीर निमोनिया था, लेकिन बीमारी की वजह पता नहीं चल सकी। इसके बाद अधिकारियों ने इमरजेंसी मीटिंग की।

'फॉर्म-6 में संशोधन किसने किया'?

सीईसी के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिया नोटिस

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के फैसलों और कामकाज के तरीके को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से पद से हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने की मांग पर तत्काल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई फैसले एकतरफा किए।

मुख्य न्यायाधीश (उखक) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट अब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर आरोपों की जांच करेगा। सुनवाई के दौरान



सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि आयोग के जवाब से यह सामने आता है कि ऐसे फैसले लिए गए थे, जिनके लिए आवश्यक सर्वसम्मति नहीं थी, तो कोर्ट उन फैसलों को वापस लेने या रद्द करने पर विचार कर सकता है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि अंडर फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस

ले लेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि रक्त प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन 'फॉर्म 6' के साथ जोड़े गए नए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। लेकिन आज उखक सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रक्त के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 के किसी भी बदले हुए रूप को मंजूरी नहीं दी है।

सीईसी के खिलाफ कोई अंतरिम कार्रवाई नहीं

याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त पर निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया में निर्धारित सामूहिक व्यवस्था का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीईसी के खिलाफ कोई अंतरिम कार्रवाई नहीं की है और पहले निर्वाचन आयोग का पक्ष जानने का फैसला किया है। अब मामले की अगली सुनवाई में चुनाव आयोग के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि जिन फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, वे आयोग के निर्धारित नियमों और निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए थे या नहीं।

सीईसी को निलंबित करने समेत कितनी मांगें?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिकाओं पर सुनवाई किया। राकेश कुमार सिंह ने मांग की है कि अंतिम सुनवाई तक ज्ञानेश कुमार उएउ के कार्य न करें और आयोग का काम दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति राय से चले। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में उएउ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की गई है। याचिका में 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग में मतभेद होने पर बहुमत का फैसला लागू होता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने ऐसे अधिकारों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, जो कानून के मुताबिक पूरे चुनाव आयोग के हैं। याचिका में ऐसे फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को चुनौती दी गई है, जिन्हें कथित तौर पर दोनों अन्य आयुक्तों की सहमति के बिना किया गया।

बिहार दरोगा परीक्षा: पटना में प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ी, पुलिस ने भांजी लाठियां

पटना। कॉरियर में आगे कोई संकट नहीं हो, इसलिए पहचान छिपाने का संकट। प्रदर्शन भी जरूरी है, ताकि सरकार बात माने। इसी उद्देश्य के लिए छात्र देरी से जुटे। सुबह 11 बजे से ही प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन जुटान में समय लगा। अब माहौल बन गया और जमकर हंगामा हुआ। दरोगा परीक्षार्थियों का जत्था फिर पटना में मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकला तो प्रदर्शनकारियों की आवाज गुंजती रही। रास्ते जाम हो गए। कुल मिलाकर प्रदर्शन के कारण एक बार फिर पटना में पुलिस के लिए

असहज स्थिति दिखी। दरोगा अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़ दी, जिसपर नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठियां भांजीं। जत्था तितरबितर होकर डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ा। पटना में दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी गांधी मैदान से जेपी गोलंबर की ओर मार्च करने निकले। हालांकि, जेपी गोलंबर के पास पटना पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। मौके पर पुलिस

के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। फिलहाल जेपी गोलंबर के पास पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण दरोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी देख मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पटना जिला प्रशासन अभ्यर्थियों से अपील कर रहा है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले और अपनी बात रखे। इस तरह धरना प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।





Manohar Lal



Monu Garg

मनोहर लाल दौलतराम गर्ग

55A MK पुरम, निकट पश्चिमपुरी, 9997549745

पानी की टंकी के बराबर











गजक

पेठा

नमकीन

दालमोठ

अब शास्त्रीपुरम में भी जौहरी बाजार वालों की दुकान